"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 — आषाढ़ 25, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 25, 1941)

क्रमांक-8015/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मूल अधिनियम की उद्देशिका में संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, उद्देशिका में, शब्द "पट्टाधृति अधिकार" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह "तथा कतिपय प्रकरणों में, पट्टाधृति अधिकार के स्थान पर भूमि-स्वामी अधिकार" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 2 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(कक) 'भूमि-स्वामी अधिकार' का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) और समय-समय पर यथा संशोधित में, परिभाषित है;"

नवीन धारा 3-ङ का अन्त:स्थापन. 4. मूल अधिनियम में, धारा 3-घ के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"3-ङ कतिपय प्रकरणों में पट्टाधृति अधिकार को भूमि-स्वामी अधिकार में परिवर्तित करना.- इस अधिनियम में दी गई किसी विपरीत बात के होते हुए भी, भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति से इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किये जाने पर, पट्टाधृति अधिकार को भूमि-स्वामी अधिकार में, ऐसे निर्बंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये, आवेदक के नाम से, परिवर्तित किया जा सकेगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

सबके लिए आवास के उद्देश्य से, सह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शहरी गरीबों को यथासंभव उनके वर्तमान निवास स्थल पर ही बसाया जाये. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) में, शहरीय भूमिहीन व्यक्तियों को उनके द्वारा कब्जा किये गये शासकीय भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टाधृति अधिकार प्रदान करते हुए व्यवस्थापित करने का प्रावधान है.

अतएव, अनियमितियों का नियमितिकरण करने तथा ऐसे नियमितिकरण की निर्बंधन एवं शर्तों को स्पष्ट करते हुए भूमि-स्वामी अधिकार प्रदान करने के लिए उपबंध करने हेतु, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) में यथोचित संशोधन करना आवश्यक है. प्रस्तावित विधेयक, उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आशयित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 08 जुलाई, 2019

डॉ. शिवकुमार डहरिया
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबन्ध

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) की उद्देशिका, धारा 2 एवं धारा 3 (घ) का सुसंगत उद्धरण

(1) मूल अधिनियम की उद्देशिका-

छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय क्षेत्रों में के आवास गृह-स्थलों के संबंध में पट्टाधृति अधिकार भूमिहीन व्यक्तियों को प्रदान करने के लिये उपबंध करने के हेतु अधिनियम.

(2) मूल अधिनियम की धारा 2-

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है जिले का कोई उपखंड अधिकारी या कोई अन्य सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जिसे कलेक्टर, आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्रों में जो, कि उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करें;

(3) मूल अधिनियम की धारा 3 (घ) विक्रय पर निर्बंधन.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्रदान किया गया हो, को ऐसी भूमि का आंशिक या पूर्ण रूप से अंतरण का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने की तारीख से दस वर्ष पूर्ण नहीं हो गये हो. अंतरण के पंजीयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा की विहित किया जाये:

परंतु, यह कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पट्टे पर प्रदत्त भूमि का विक्रय करता हो, तो वह और/या उसका परिवार स्वयंमेव किसी भी अन्य भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने की पात्रता तदोपरांत खो देगा.

टीप :- "परिवार" से अभिप्रेत है पति, पत्नी, आश्रित बच्चे एवं माता-पिता."

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.